किरायानामा (Agreement)

1. नाम लेख्यकारीः— ....., पिताः ..... —ग्रामः— ....., पोस्टः—.....,थानाः— ....., जिलाः—....., ... राज्य का निवासी हैं।
2.
3. नाम लेख्यधारीः— ....., पिताः ..... —ग्रामः— ....., पोस्टः—.....,थानाः— ....., जिलाः—....., ... राज्य का निवासी हैं।

4. एग्रीमेंट का अवधिः— ..... वर्ष के लिए।

5. किरायाः— .....

एग्रीमेंट पर दिये गए जमीन का विवरण इस प्रकार हैंः—

खाता नम्बर खेसरा नम्बर रकवा

.... डी0

चौहदीः— उ0 :— .....

द0 :— .....

पू0 :— .....

प0 :— .....

6. एग्रीमेंट प्रारंभ की तिथिः— .....

कैफियतः—

उक्त जमीन हैं,वह लेख्यधारी को दिया जा रहा हैं। उक्त जमीन जो दर्शाया गया हैं, वह लेख्यकारी का खतियानी जमीन हैं। जो बिहार सरकार के सिरिस्ते में तथा मुजफ्फरपुर शहर के कार्यालय में अकिंत हैं, यानि दर्ज हैं। लेख्यकारी ने लेख्यधारी को एग्रीमेंट पर देने हेतु राजी खुशी से तैयार हुए हैं। जिसमें लेख्यधारी ....., ...और अन्य उत्पादन का काम करेगें। जिसका मालिक स्वयं ..... होगें। जिसका लेख्यधारी जिसमें निम्नलिखित शर्त के आधार पर एग्रीमेंट तैयार किया गया हैं। जो दोनो पक्षों ने स्वीकार किया हैं।

1. यह कि लेख्यधारी लेख्यकारी को तयशुदा ..... से प्रतिवर्ष ..... दिसंबर से .....जनवरी के एक मुश्त दे दिया करेगें।

2. यह कि इस जमीन पर किसी तरह की अवैध सामाग्रिया जो कानूनी दण्डनीय अपराध हो, वैसी हालात में लेख्यधारी की पूर्ण जवाबदेही होगी।

3. यह कि लेख्यधारी द्वारा चलाये जा रहे पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और अन्य उत्पादन व्यपार पर किसी तरह का सरकारी, गैरसरकारी किसी तरह का ऋण बकाया लेन—देन हागा तो उसका पूर्ण जवाबदेही लेख्यधारी का होगा।

4. यह कि लेख्यधारी विधुत खपत का भुगतान प्रतिमाह खुद करेगें,अगर उनका बकाया या चोरी करते हैं तो उसके चुकता करने, दण्ड पाने का पूर्ण जवाबदेही होगी।

5. यह कि लेख्यकारी अपने जमीन का टैक्स एवं मालगुजारी खुद देंगे।
6. यह एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने पर जमीन मूल रूप में वापस किया जायेगा।

7. अगर लेख्यधारी ..... वर्ष पूर्व यह एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो इसका जिम्मेवार स्वयं होगे।

8. लेख्यकारी यह एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने से पहले नही तोड़ सकते हैं।

9. एग्रीमेंट वाले प्लाट में अवस्थित पंपसेट पाईप का इस्तेमाल लेख्यधारी निजी काम के लिए करेगें।

10. यह एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने पर फिर से अवधि बढ़ाना लेख्यकारी की इच्छा पर होगा। व्यवहार लेख्यधारी का ठीक वो अच्छा रहा तो लेख्यकारी इस एग्रीमेंट की अवधि पिछले पन्ना पर लिखित अपने हस्ताक्षर से समय अवधि को बढ़ा सकते हैं।

11. यह की लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के बिच किसी तरह की समस्या उत्पन्न हाने पर आपसी पंचायती से निपटारा करेंगे या समझौता नही होने पर केवल सक्षम न्यायालय मुजफ्फपुर में ही निपटारा करेगें। कही अन्य न्यायालय में विवाद को ले जाने का अधिकार लेख्यकारी एवं लेख्यधारी का मान्य नही हागा।

उपरोक्त सभी शर्तो को मानते हुए दानों पक्षों एवं गवाह ने सोच समझकर पढ़ वो पढवाकर अपने पूरें होशो हवास में

इस वास्ते यह एग्रीमेंट लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

वाजे रहे कि इस एग्रीमेंट की एक काँपी लेख्यकारी के पास रहेगा,मूल काँपी लेख्यधारी के पास रहेगा। बतौर वक्त जरूरत पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

हस्ताक्षर लेख्यधारी हस्ताक्षर लेख्यकारी

हस्ताक्षर गवाह

1.

2.

3.

4.

5.